मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ भवन,मंत्रालय–462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 26/08/2020

क्रमांक 811/969/2020/38/शा.–3 :: सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ–770/2020/38–3 भोपाल दिनांक 13.08.2020 जारी किया गया। उक्त आदेश के अनुक्रम में दिनांक 17.08.2020 को आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेस तथा आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य समस्त स्वशासी महाविद्यालय की समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं/परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. प्रदेश के समस्त पारम्परिक/दूरस्थ/निजी विश्वविद्यालय एवं समस्त स्वशासी महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019–20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व में तैयार प्रश्नपत्रों में ही निर्देशानुसार प्रारूप संशोधन कर विषयवार प्रश्नपत्र खण्डवार एक साथ तैयार कराए जाएं। जिन विषयों के प्रश्नपत्र तैयार नहीं हैं वहां निर्देशानुसार प्रश्नपत्र तैयार कराएं जाएं। परीक्षार्थी से संबंधित जानकारी के लिए उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप भी उपलब्ध कराए जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के साथ प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. परीक्षार्थी नजदीक के किसी भी संग्रहण केन्द्र पर एक साथ उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। संग्रहण केन्द्रों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं जिले के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
3. जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है उनके लिए भी असाइनमेंट पद्धति से कार्यवाही कर मूल्यांकन पश्चात् प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व वर्षों में एक्स./एटीकेटी परीक्षार्थी हैं तो उसकी परीक्षा भी असाइनमेंट के माध्यम से सम्पन्न कराई जाए।
5. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न शैक्षणिक एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु संबंधित विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के पूर्व ही समस्त अग्रणी प्राचार्य को अग्रिम राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. उत्तर पुस्तिका के संग्रहण कार्य में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों का भुगतान अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लोकसभा निर्वाचन में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त अग्रिम राशि से किया जाएगा।
7. प्रदेश के समस्त स्वशासी महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में ही संग्रहित की जाएंगी। परीक्षार्थी डाक द्वारा भी संबंधित स्वशासी महाविद्यालय को निर्धारित समय–सीमा में उत्तर पुस्तिकाएं भेज सकेंगे।
8. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष (नियमित) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (नियमित) के आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए एक अवसर प्रदान करते हुए असाइनमेंट स्वीकार किया जाए। मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किए जायेंगे।

.......2

9. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में जिन पाठ्यक्रमों/विषयों में लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट आवश्यक है ऐसे परीक्षार्थी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट नजदीकी संग्रहण केन्द्रों पर निर्धारित समय–सीमा में जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के कार्यालय के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अग्रणी महाविद्यालय प्राप्त सभी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट को संबंधित विश्वविद्यालय/अग्रेषण केन्द्रों को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय/अग्रेषण केन्द्र महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन कराते हुए प्राप्तांक निर्धारित समय–सीमा में ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर पर पृथक से अन्य आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

26-8-2020

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 812/969/2020/38/शा.–3 **भोपाल दिनांक** 26/08/2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ ऑफिसर उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
10. कुलसचिव, समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
12. वि.क.अ.आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26-8-2020

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग